न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— नरेन्द्र के. वर्मा (आर०ए०एस०)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर

मुकदमा नम्बर :— 106/2015

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर ..... प्रार्थी

बनाम

श्री गोविन्द सिंह पुत्र नारायन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम करकाखेरली तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर हाल निवासी प्रतापसिंह वाली गली, मोटे हनुमान जी के पास कायस्थपाडा धौलपुर ..... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970

उपस्थिति :—

प्रार्थी की ओर से :— श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक
अप्रार्थी की ओर से :— श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट

निर्णय

दिनांक : 12.03.2020

तहसीलदार धौलपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) आवंटन नियम 1970 के तहत इन तथ्यों के साथ पेश किया गया कि अप्रार्थी गोविन्द सिंह पुत्र नारायनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम करकाखेरली तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर को ग्राम मिलक तहसील धौलपुर में आराजी खसरा नम्बर 1134/1022 रकवा 4.00 वीघा भूमि दिनांक 01.03.1986 को आवटंन कमेटी द्वारा आवंटित किया गया था परन्तु आवंटी ने आवंटन की शर्तों का पालन नहीं किया है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर नियमानुसार आवंटन के दो वर्ष से/कब्जा देने के दो वर्ष से दो वर्ष के अन्दर समस्त रकवा को काश्त नहीं किया है। आवंटी के द्वारा आवंटन की शर्तो का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः अप्रार्थी गोविन्द सिंह के पक्ष में दिनांक 01.03.1986 को हुये आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अति... कलक्टर

न्या0अति.जिला कलक्टर
प्रा0पत्र 14(4) प्र0 संख्या 106/2015
वमुकः— सरकार बनाम गोविन्दसिंह

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में रिपोर्ट पटवारी हल्का विशनोदा दिनांक 20.12.2014, नकल जमाबन्दी सम्बत 2070 से 73 ग्राम मिलक, नामान्तकरण संख्या 454 आवटंन गैरखातेदार, नौका पर्चा ग्राम मिलक दिनांक 20.12.2014, पेश किये है।

पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाव प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि उत्तरदाता केन्द्रीय सुरक्षा बल (आर्मी) में तैनात था जो दिनांक 07.06.1980 को सेवा निवृत हुआ है। उत्तरदाता की सेवा निवृती के बाद उत्तरदाता के जीवकोपार्जन के लिये प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी विधिवत रूप से उत्तरदाता को आवंटित की गई है। वक्त आवंटन से उत्तरदाता विधिवत रूप से आवंटित शुदा आराजी पर निरन्तर रूप से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) निरस्त किये जाने की प्रार्थना की। अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में डिस्चार्ज सर्टीफिकेट तारीखी 14.08.1980 पेश की है इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वहस विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त विवादित आराजी अप्रार्थी को दिनांक 01.03.1986 को आवटंन कमेटी द्वारा आवंटित की गई थी परन्तु आवंटी ने आवंटन की शर्तो का पालन नहीं किया है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर नियमानुसार आवंटन के दो वर्ष के अन्दर समस्त रकवा को काश्त नहीं किया है। उक्त विवादित आराजी पडत दर्ज है। आवंटी ग्राम करकाखेरली तहसील राजाखेडा में रहता है ग्राम मिलक तहसील धौलपुर में नहीं रहता है। अतः अप्रार्थी गोविन्दसिंह के पक्ष में दिनांक 01.03.1986 को हुये आवंटन को निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में जबाव में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि आवंटी सीमा सुरक्षाबल में कार्यरत था जो दिनांक 07.06.1980 को सेवा निवृत हुआ है। आवंटी की सेवा निवृती के बाद आवंटी के जीवनयापन के लिये विवादित आराजी विधिवत रूप से आवंटी को आवंटित की गई है। आवंटी आवटंन के दिन से आवटंन की शर्तो के अनुसार उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। आवंटन को 30 वर्ष लम्बा अर्सा व्यतीत हो चुका है इतने लम्बे समय बाद आवंटन किसी तकनीकी आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियम 14(4) खारिज फरमाया जावे।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

न्या0अति.जिला कलक्टर
प्रा0पत्र 14(4) प्र0 संख्या 106/2015
वमुकः— सरकार बनाम गोविन्दसिंह

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। आवंटी का कथन है कि आवंटी सीमा सुरक्षाबल में कार्यरत था जो दिनांक 07.06.1980 को सेवा निवृत हुआ है। आवंटी की सेवा निवृती के बाद आवंटी के जीवनयापन के लिये विवादित आराजी विधिवत रूप से आवंटी को आवंटित की गई है। आवंटी आवटंन के दिन से आवटंन की शर्तो के अनुसार उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है परन्तु आवंटी ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे यह सावित होता हो कि आवंटी का विवादित आराजी पर आवटंन दिनांक से कब्जा काश्त हो। वहस के दौरान अभिभाषक अप्रार्थी ने यह स्वीकार किया कि आवंटी ने विवादित आराजी पर काश्त की हो इसकी कोई खसरा गिरदावरी साक्ष्य के रूप में मैने पेश नहीं की है। इसके विपरीत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड पटवारी हल्का की रिपोर्ट, मौका पर्चा ग्राम मिलक दिनांक 20.12.2014 जिस पर ग्रामवासियों के हस्ताक्षर है, के अवलोकन से यह सावित होता है कि आवंटी ने विवादित आराजी पर कोई काश्त नहीं की है, विवादित आराजी पडत (गैरकाश्त) होना बताया है। मौका पर्चा दिनांक 20.12.2014 में आवंटी गोविन्दसिंह का कब्जा काश्त होना नहीं बताया गया है। पूर्व में भी गैरखातेदार गोविन्दसिंह का कब्जा नहीं बताया गया है। आवंटी अप्रार्थी धौलपुर में रहता है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवटंन की शर्तो का पालन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी गोविन्दसिंह पुत्र नारायनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम करकाखेरली तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर हाल निवासी प्रतापसिंह वाली गली, मोटे हनुमान जी के पास कायस्थपाडा धौलपुर को ग्राम मिलक तहसील धौलपुर के आराजी खसरा नम्बर 1134/1022 रकवा 4.00 वीघा का दिनांक 01.03.1996 को आवटंन कमेटी द्वारा किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार धौलपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र के. वर्मा)
अति0 जिला कलेक्टर
धौलपुर (राज0)